पत्रांक : 11/वि1–50/2013, 1550

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक :

के०वी०एन०सिंह,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थपना)

पटना, दिनांक : 14/8/.... 2015

विषय : माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1594 दिनांक 12.12.2014, 620 दिनांक–02.04.2015, 1304 दिनांक 30.06.15 एवं 1397 दिनांक 13.07.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा चतुर्थ चरण अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के संबंध में निदेश दिया गया था।

निदेशानुसार अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2014 के आलोक में तृतीय संव्यवहार के उपरांत कैम्प के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :–

(i)	नियोजन इकाई द्वारा काउसिंलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना – नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत	22.08.2015
	जिला परिषद्	24.08.2015

नियोजन की प्रक्रियान्तर्गत निम्नांकित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

1. वैसे नियोजन इकाई जिसमें द्वितीय एवं तृतीय कॉउन्सलिंग नहीं हुआ है, उसके नियोजन इकाई के लिए वर्त्तमान तालिका में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय कॉउन्सलिंग होगा।
2. प्रकाशित विज्ञप्ति के विरूद्ध जिस नियोजन इकाई में चतुर्थ संव्यवहार की प्रक्रिया संपन्न हो जायेगी, वैसे नियोजन इकाई में नियोजन की प्रक्रिया बंद हो जायेगी।
3. राज्य स्तर से नियोजन से संबंधित तिथि निर्धारित करने का उद्देश्य यही है कि एक ही तिथि को राज्य में कॉउन्सिलिंग की प्रक्रिया सम्पन्न हो साथ ही सभी अभ्यर्थियों को सामान्य रूप से कॉउन्सिलिग की जानकारी उपलब्ध हो जाये। अतः निर्धारित तिथि को कॉउन्सिलिंग करना अनिवार्य है। निदेशालय के पूर्वानुमति के बिना तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
4. उच्च माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षक एवं संगीत शिक्षकों का नियोजन उपरोक्त तिथि अनुसार की जायेगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षक को अतिरिक्त 05 अंक एवं संगीत शिक्षकों के उपाधि के संबंध में विस्तृत निदेश विभागीय पत्रांक 1549 दिनांक 14.08.2015 द्वारा दिया गया है।

5. अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन ईकाई का दायित्व है कि विभागीय निदेश एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में वैध डिग्री अर्हताधारी अभियर्थियों का नियोजन सुनिश्चित किया जाय। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त CD से सत्यापन करने के उपरान्त ही कॉउन्सिलिंग की जाय। नियोजन के उपरान्त नियत वेतन के भुगतान पूर्व शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

6. नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यह सुनिश्चित करेगें की उपरोक्त निर्धारित तिथि को नियोजन ईकाई में नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य सचिव से संपर्क स्थापित कर उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु पहल करेगे। नियोजन न होने की स्थिति में सुस्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. नियोजन के संबंध में दिनांक–19.08.2015 को सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से विडियों कॉन्फ्रेसिंग द्वारा समीक्षात्मक की जायेगी। कृपया निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन समीक्षा बैठक के पूर्व अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल पर उपलब्ध कराया जाय।

क्रमांक	नियोजन ईकाई का नाम	विज्ञापन हेतु प्रकाशित पद	प्रथम कॉउन्सिलिंग की तिथि	द्वितीय कॉउन्सिलिंग की तिथि	तृतीय कॉउन्सिलिंग की तिथि	कुल नियोजन शिक्षक की संख्या

विश्वासभाजन,

14/8/15

(के०वी०एन०सिंह)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)